# न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रकरण सं:–17 / 2021 प्रवेश दिनांक 25.05.2021 निर्णय दिनांक 25.01.2022

उनवान

1.राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का सूरेर तहसील राजगढ जिला अलवर

बनाम

1.कैलाश पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी सूरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में वृतान्त इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सूरेर द्वारा ग्राम सूरेर के आ0ख0नं0 1/1635 रकबा 0.20 व 2/1693 रकबा 0.0720 है0 किस्म बारानी खातेदारी कृषि भूमि में गैरसायल कैलाश पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी सूरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा कृषिभूमि में स्कूल भवन निर्माण कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बिना रूपानन्तरण करवाये उपयोग ली जा रही है। पटवारी हल्का सूरेर द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 90 ए के तहत रिपोर्ट पेश करने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप दीक्षित उपस्थित आये जिनके द्वारा वकालतनामा, जवाब नोटिस व जवाब दावा माननीय ए0डी0जे0 महोदय राजगढ़ का निर्णय दिनांक 03.12.2019 की नकल की प्रति प्रस्तुत की गई है। जो शामिल पत्रावली किये गये। अधिवक्ता के कथनानुसार उपसचिव स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 04.01.2017 को निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को जारी किया गया जिस पत्र का विषय निजी स्कूलों की मान्यता के सम्बंध में भूमि रूपान्तरण के नियमों के क्रम में जारी किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन नियम 2007 में एक एकड क्षेत्रफल तक संस्थानिक प्रयोजनार्थ यथा विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि पर सम्परिर्वतन की आवश्यकता का प्रावधान दिनांक 06.10.2016 को किया गया है जिसमें बिना भूमि रूपान्तरण के विद्यालय भवन निर्माण कर विद्यालय संचालन की छुट प्रदान की गई है।

पटवारी हल्का सूरेर की रिपोर्ट, नोटिस जवाब एवं जवाब दावा माननीय ए0डी0जे0 महोदय राजगढ़ का निर्णय दिनांक 03.12.2019 की नकल का अवलोकन एवं मनन किया गया। जिसमें माननीय ए0डी0जे0 महोदय, राजगढ़ का यह आदेश एव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र–2016 इस प्रकरण में लागू नही होता है। क्योंकि गैरसायल द्वारा जब कृषि भूमि में अकृषि प्रयोजनार्थ नींव खुदाई कार्य प्रारम्भ किया गया था। तत्समय भी गैरसायल को निर्माण कार्य नहीं करने हेतु नोटिस दिनांक 14.11.2012 को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के तहत

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

नोटिस जारी किया गया था। लेकिन गैरसायल द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषिभूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

अतः कैलाश पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी सूरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा ग्राम सूरेर के ख0नं0 1/1635 रकबा 0.20 व 2/1693 रकबा 0.0720 है0 पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ स्कूल भवन का निर्माण कर उपयोग करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए सपठित धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल कर लगान 9.45 रूपये का पचास गुणा राशि 473/– रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। वसूली एवं कायमी हेतु पटवारी हल्का व तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावें। गैरसायल का यह कृत्य कृषि भूमि को बिना सक्षम स्वीकृति अकृषि भूमि में उपयोग कर लेने पर खातेदारी भूमि की शर्तो के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कृषि भूमि शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार
तहसीलदार राजगढ
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 11 पर 90A पै. 473/-
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार